FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर बनाम धनसी वगैरह

मु.न. 824 / 2025

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2025	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करने हेतु तहसीलदार मण्डावर द्वारा ग्राम सरावली पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 471 / 0.23 किस्म चाही A जाव A में से 0.0348 हैक्टेयर भूमि को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्ताव पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्ताव के कथनों को दोहराया। प्रार्थी की बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त खसरा नम्बर 471 के समस्त खातेदारों द्वारा उक्त रास्ते हेतु सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक–पं.3(2) राज. –6 / 2008 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार मण्डावर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
824/2025	06.11.2025	16.12.2025

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. धनसी पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. प्रेम देवी पत्नी स्व. लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. भगवान पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. रामबाबू पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. लिक्षमा पुत्री लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. विक्रम पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. शेरसिंह पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. सीमा पुत्री लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. हुकम चन्द पुत्र लल्लू, निवासी सरावली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी – तहसीलदार मण्डावर।
2. अप्रार्थीगण समस्त ।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक –पं. 3(2) एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत् प्रस्ताव ग्राम सरावली पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2072–2075 अनुसार आराजी के खसरा सं. 471 किस्म चाही A जाव A रकबा 0.23 हैक्टे. में से 0.0348 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मण्डावर ने इस प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरा सं. 471 के समस्त खातेदारों ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 471 रकबा 0.23 हैक्टे. में से 0.0348 हैक्टे. को वाके राजस्व ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक–पं.3(2) राज.–6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं खातेदारों की सहमति के आधार पर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम सरावली पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत 2072–2075 अनुसार, आराजी खसरा सं. 471 किस्म चाही A जाव A रकबा 0.23 हैक्टे. में से 0.0348 हैक्टे. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाईटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)